

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) / (RAILWAY BOARD)

No. 2024/TG-II/BOCDetails

New Delhi, dated .09.2024

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

Sub.: Competency Certification for Drivers of Battery Operated Vehicles.

Battery Operated Vehicles are being operated at some railway stations for movement of passengers from one platform to another through various routes viz. Publicity route, CSR (Corporate Social Responsibility) route and Chargeable route.

Safety Directorate of Board's Office has observed that in view of the safety of passengers and security of the premises, it is desirable that competency of the drivers with regard to license, fitness etc., should be certified, on the lines of Competency Certificates issued to operators of the drivers of construction machinery and vehicles during the project construction activity near the track. Sample Competency Certificate is enclosed herewith for ready reference. Do's and Don'ts to be followed by the drivers are also enclosed.

In view of the foregoing, it is requested that necessary action be taken to ensure the competency and to also ensure that Do's and Don'ts are followed by the drivers, if not already being done.

A compliance report in this connection may please be furnished to Board's office at the earliest by e-mail on sotg098@gmail.com. A copy of the same may also be furnished by Fax on 030-43373 (Railway) / 011-23072028 (P&T).

THE MATTER MAY BE TREATED AS MOST URGENT.


20/9/24

(Shivendra Shukla)

Executive Director/Passenger Marketing,
Railway Board, New Delhi

क्षमता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेलवे स्टेशन _____ पर बैट्री ऑपरेटेड गाड़ी (BOV) ड्राइवर के कार्य हेतु _____ पुत्र/पुत्री _____ आधार संख्या _____ लाईसेंस संख्या _____ को रेलवे लाइन के नजदीक रेल संरक्षा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य निष्पादन की सम्पूर्ण जानकारी दे दी गई है। साथ ही, कार्य करते समय यदि ड्राइवर द्वारा किसी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी होती है तो इस संबंध में नुकसान की भरपाई एजेंसी द्वारा की जाएगी एवं ड्राइवर पर उचित दंडात्मक कार्रवाई भी एजेंसी द्वारा की जाएगी और इसकी जानकारी रेलवे को दी जाएगी।

ड्राइवर के हस्ताक्षर**एजेंसी के निविदा प्राधिकारी के हस्ताक्षर**

बैट्री ऑपरेटेड गाड़ी ड्राइवर हेतु

Do's and Don'ts

01. सभी चालक ड्यूटी के दौरान अपने वैध आई-कार्ड सहित उपस्थित रहेंगे।
02. सभी चालकों के पास वैध चिकित्सा प्रमाण होना आवश्यक है।
03. कोई भी चालक ई-कार्ड को प्लेटफार्म पर बनी पीली लाइन/कोपिंग से आगे ई-कार्ड को संचालित ना करें।
04. कोई भी ई-कार्ड चालक 15 KMPH की निर्धारित गति से अधिक ई-कार्ड को संचालित ना करें।
05. प्लेटफार्म की ढलान से उतरते समय ई-कार्ड को पूरा कंट्रोल में रखें।
06. लाइनों को पार करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि दोनों ओर से कोई भी रेलगाड़ी अथवा रेल इंजन ना आ रहा हो। रेलगाड़ी की स्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही लाइनों को पार करें।
07. अधिक भीड़ वाले प्लेटफार्म पर ई-कार्ड का कम से कम संचालन करें।
08. हॉर्न का अधिक प्रयोग ना करें केवल, जहाँ अति आवश्यक हो वहाँ हॉर्न का प्रयोग करें।
09. किसी भी प्लेटफार्म पर गाड़ी के आगमन के तुरंत बाद गाड़ी से उतरने वाले यात्रियों की भीड़ रहती है, उस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई-कार्ड का संचालन सावधानी से करें।
10. ई-कार्ड को खड़ा करते समय पार्किंग ब्रेक अवश्य लगाएँ।
11. ई-कार्ड में ओवर लोडिंग ना करें।
12. ई-कार्ड को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
